न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/107 **दायरा दिनांक : 25.08.2021**

उनवान

1– रामदुलारी आयु 35 वर्ष बेवा रामचन्द्र, जाति चमार
2– नरेन्द्र आयु 11 वर्ष पुत्र रामचन्द्र,नाबालिग
3– सुरेन्द्र आयु 8 वर्ष पुत्र रामचन्द्र,नाबालिग
4– सोनू आयु 14 वर्ष पुत्र रामचन्द्र,नाबालिग
5– मनीषा आयु 12 वर्ष पुत्री रामचन्द्र,नाबालिग
6– मनभर आयु 6 वर्ष पुत्री रामचन्द्र,नाबालि, जरिये वली माता रामदुलारी पत्नी बेवा रामचन्द्र, निवासीगण ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– गुलाब बाई आयु 70 वर्ष बेवा चम्पा लाल (मृतका)
1/1– कल्लीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री चम्पालाल,
1/2– कमलाबाई आयु 45 वर्ष पुत्री चम्पालाल,
1/3– गायत्री बाई आयु 40 वर्ष पुत्री चम्पालाल,
निवासीगण ग्राम कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2– शाखा प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई, तहसील अटरू
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री विद्याशंकर गोस्वामी एवं उमाशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 22.04.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 63/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां में खाता सं. 532 की खसरा नं. 1221/1416 की 0.64 हेक्टर तथा खाता संख्या 533 की खसरा नं. 1439 की 2.80 हेक्टर, खसरा नं. 1440 की 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 1441 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 1442 की 0.25 हेक्टर, खसरा नं. 1443 की 0.29 हेक्टर कुल किता 5 रकबा 3.57 हेक्टर आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2017 से वादिया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 532 खसरा नं. 1221/1416 की 0.64 हेक्टर व ग्राम कवाई की खाता संख्या 533 खसरा नं. 1439 की 2.80 हेक्टर, खसरा नं. 1440 की 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 1441 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 1442 की 0.25 हेक्टर, खसरा नं. 1443 की 0.29 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.57 हेक्टर वादियागण 2 लगायत 4 को 3रु4 व प्रतिवादियागण 1 लगायत 6 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर तहसीलदार अटरू को आदेशित किया कि अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें, डिक्री पर्चा जारी हो। जिससे अप्रसन्न होकर प्रतिवादीगण अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की। इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 211/2017 को दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 07.01.2019 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया कि तहसीलदार के द्वारा उपरोक्त दोनों

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पक्षों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव पुनः प्राप्त करें उस पर दोनों पक्षों की सुनवायी करें एवं गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पुनः पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने प्रकरण में पुनः दिनांक 26.07.2021 को निर्णय व फाईनल डिक्री पारित किया कि विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता संख्या 532 खसरा नं. 1221/1416 की 0.64 हेक्टर व खाता संख्या 533 खसरा नं. 1439 की 2.80 हेक्टर, खसरा नं. 1440 की 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 1441 की 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 1442 की 0.25 हेक्टर, खसरा नं. 1443 की 0.29 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.67 हेक्टर का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

1- प्रतिवादी नरेन्द्र, सुरेन्द्र, ना.बा. पुत्र सोनू, मनीषा, मनभर, ना.बा. पुत्रियां रामदुलारी पत्नि रामचन्द्र ना.बा. वली माता खुद जाति बैरवा, सा.वेह के खाते में निम्न आराजीयात रहेगी।

खाता सं.	खसरा नं. व दिशा	रकबा	किस्म	लगान
319	2221/1416	0.16 हे0	बा0 प्रथम	1.44
	1	0.16 हे0		1.44
320	1439 पश्चिम	0.70 हे0	चाही द्वितीय	22.40
	1440 दक्षिण	0.02 हे0	चाही द्वितीय	0.64
	1442 दक्षिण	0.06 हे0	चाही द्वितीय	1.92
	1443 दक्षिण	0.02 हे0	चाही द्वितीय	2.24
कुल किता	4	0.85 हे0		27.20

2- कल्लीबाई, कमलाबाई, गायत्रीबाई पुत्रियां चम्पालाल, जाति बैरवा, सा. वेह खातेदार ख0 नं. 2221/1416 को छोड़कर रहन पी.एन.बी. कवाई के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी -

खाता सं.	खसरा नं. व दिशा	रकबा	किस्म	लगान
319	2221/1416	0.48 हे0	बा0 प्रथम	4.32
	1	0.48 हे0		4.32
320	1439 पूर्व	2.10 हे0	चाही द्वितीय 0.83 जाव द्वितीय 1.27	26.56 20.32
	1440 उत्तर	0.04 हे0	चाही द्वितीय	1.28
	1442 उत्तर	0.19 हे0	चाही द्वितीय	6.08
	1443 उत्तर	0.22 हे0	चाही द्वितीय 0.15 जाव द्वितीय 0.07	4.80 1.12
कुल किता	4	2.55 हे0		60.16

3- नरेन्द्र, सुरेन्द्र ना0बा0 पुत्र सोनू, मनीषा, मनभर ना0बा0 पुत्रियां रामदुलारी पत्नि स्व0 रामचन्द्र हिस्सा 1/4 ना0 बा0 वली माता खुद कल्लीबाई, कमलाबाई, गायत्रीबाई पुत्रियां चम्पालाल हिस्सा 3/4 जाति बैरवा सा. वेह रहन पी0एन0बी0 कवाई के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी -

खाता सं.	खसरा नं. व दिशा	रकबा	किस्म	लगान
320	1441	0.17 हे0	गै.मु.चाह	-
	1	0.17 हे0		-

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री न्याय संचिका में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में निहित साक्ष्य एवं दस्तावेजों का विवेचन न कर मनमाने तौर पर निर्णय पारित करने में भारी विधिक

(ममता तिवारी)
भू-प्रबन्ध एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.07.2021 आर्बीट्रेरी, केप्रिसियस तथा परवर्स है तथा कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.07.2021 गैर कानूनी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी तथ्यों को नजरअन्दाज कर उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन न कर पत्रावली में निहित साक्ष्य एवं दस्तावेजों का भली भांति अवलोकन न कर मनमाने तौर पर उक्त निर्णय पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी के कानूनी प्रावधान आदेश 14 नियम 5 की पालना किये बिना ही बिना तनकीयात कायम किये ही कानून के खिलाफ जाकर निर्णय पारित किया है, उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने योग्य है।

किसी भी प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत होने व तनकीयात प्रस्तुत होने के पश्चात आर्डर 20 रूल 5 सी पी सी के अनुसार उक्त प्रकरण को तनकीवाईज निर्णय पारित करना आवश्यक है। माननीय न्यायालय द्वारा भी पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त करते हुए उक्त प्रकरण को इस हेतु रिमाण्ड किया था कि उक्त प्रकरण में पुनः तनकीयात कायम कर दोनों पक्षों को साक्ष्य का मौका देकर पुनः निर्णय पारित करें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बावजूद कोई तनकीयात कायम नहीं की और बिना तनकीयात कायम कर निर्णय पारित कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यू बोर्ड के रूल 18 से 21 की पालना किये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में डी.डब्ल्यू. 1 रामदुलारी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया था कि सम्पूर्ण आराजी पर मेरे पति का कब्जा काश्त चला आ रहा है, उनकी मृत्यु के बाद मैं काश्त कर रही हूं, मैने मेरे हिस्से व कब्जे की आराजी पर ट्यूबवैल खुदवाया है एवं बिजली कनेक्शन भी मैने करवाया है और उसको उपजाऊ भी मैने बनाया है, इसलिए कब्जेनुसार ट्युबवैल वाला हिस्सा मुझे बंटवारे में दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को कब्जे अनुसार बंटवारा कर ट्यूबवैल का खसरा नम्बर अपीलांट को देना चाहिए था, ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय में कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की है एवं मनमाना एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के कानूनी प्रावधानों आदेश 14 नियम 5 की पालना किये बिना ही बिना तनकीयात कायम किये निर्णय व डिक्री पारित किया जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यु बोर्ड के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी, अटरू के निर्णय दिनांक 26.07.2021 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये हुए निर्णय पारित किया है। जिससे अपीलांट/प्रतिवादीगण का कथन सही सिद्ध होता है। **इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 211/2017 दायरा दिनांक 27.11.2017 उनवान रामदुलारी बनाम गुलाबबाई में पूर्व में पारित किये गये अपने निर्णय दिनांक 07.01.2019 में अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी कि तहसीलदार के द्वारा उपरोक्त दोनों पक्षों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव पुनः प्राप्त करें उस पर दोनों पक्षों की सुनवायी करें एवं गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पुनः पारित करें।**

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका में दिनांक 22.04.2019 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। आदेशिका दिनांक 12.06.2019 के अनुसार दोनों पक्षों के अधिवक्ता निर्णय डिक्री दिनांक 26.10.2017 से सहमत हैं। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.07.2019 को पेश हो, तहरीर जारी हो, के बाद आदेशिका दिनांक 26.07.2021 के अनुसार तहसीलदार अटरू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार आदेश व डिक्री फाईनल कर निर्णय सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.07.2021 में यह अंकित है कि तहसीलदार अटरू द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया है जिससे अभिभाषकगण वादीगण सहमत है। पत्रावली में सलंग्न पूर्व विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.11.2017 पर नोट अंकित किया है कि बंटवारा प्रस्ताव से वादीगण सहमत हैं एवं हस्ताक्षर कर दिनांक 27.01.2021 अंकित किया गया लेकिन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट/ प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं और ना ही यह अंकित किया गया है कि पक्षकारान को मौके पर बुलाया गया है और वो उपस्थित नहीं हुए, अथवा हस्ताक्षर करने से मना किया। इस प्रकार यह सिद्ध होता है **कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2017 की पूर्णरूपेण पालना नहीं की गई है,** अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2021 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.07.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारान को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से तनकीवार प्राथमिक डिक्री पारित करें तथा राजस्व मंडल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए फाईनल डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को पावन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.06.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/04/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा